केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/138 दिनांक: 28.04.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00137
CICOM/R/2016/00111

अपीलकर्ता : श्रीमती रजनी देवी,
C/o श्री श्रीराम, रिटायर्ड रे0 स्टे0 मास्टर,
निवासी मो0 – आदर्श नगर कालोनी, गली नं.1, रोजा जं0,
जिला – शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख : 28.04.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.1.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	01.02.2016, 10.02.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री योगेश कुमार सिंहल, श्री वी.के. शर्मा,
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	09.03.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	121556/15.03.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	157/17.03.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील आदेश सं. CIC/SM/C/2012/000563 की समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ मांगी थी । अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनके आर.टी.आई. आवेदन को निर्धारित समयावधि के बाद अन्य सूचना अधिकारी को सूचना देने हेतु अंतरित किया गया है तथा उन्हें निर्धारित समयवाधि के अंदर सूचना प्रदान नहीं की गई है, अतः आयोग के जन सूचना अधिकारी के खिलाफ धारा 20 (1) व (2) तहत कठोर कार्रवाई की जाए तथा धारा 19 (8) (ख) के तहत प्रार्थिनी का वाजिब मुआवजा भी दिलाने की कृपा की जाए ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने दिनांक 18.01.2016 आर.टी.आई. आवेदन दाखिल किया जो कि आयोग में दिनांक 25.01.2016 को डायराईज हुआ तथा दिनांक 26.01.2016 को राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण 27.01.2016 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, इसके उपरांत ठीक चौथे कार्यदिवस अर्थात 01.02.2016 को श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु श्री वी.के.शर्मा, जन सूचना अधिकारी को आर.टी.आई. आवेदन अंतरित किया गया । इस तरह अपीलकर्ता का यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि निधारित समयावधि के बाद आर.टी.आई. आवेदन को अंतरित किया गया । अपीलकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें वांछित सूचना प्रदान नहीं की गई है, परन्तु संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री वी.के.शर्मा, जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 10.02.2016 को सूचना दे दी गई है जिसमें उल्लेख किया गया है कि संबंधित संचिका अब तक उनकी रजिस्ट्री में प्राप्त नहीं हुआ है तथा संबंधित संचिका उपलब्ध कराने हेतु रिकार्ड रूम इंचार्ज को अनुरोध किया गया है । प्रसंगवश उल्लेख किया जाता है कि मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश सं. WP(C) No.26781/2013 के पैरा 24 में स्पष्ट किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा अपनी ही शिकायत/अपील की प्रतिलिपि मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अपीलकर्ता के ही कागजात हैं, इन्हें सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

O/C

अचला सिन्हा
(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :-
1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री वी.के.शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
10.4 MAY 2016
Initials

C. I. C. /के० सू० आ०
ISSUED
05 MAY 2016
D No.
Initials